न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, फतेहपुर शेखावाटी, जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी : : सरिता यादव ,RJS (DJ Cadre)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या सीआईएस नम्बर 46/2026

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या :: 174/2025 पुलिस थाना सदर फतेहपुर

सीएनआर नम्बर RJSK160002862026

महेश कुमार कंजर पुत्र हरिप्रकाश कंजर,उम्र 27 वर्ष, निवासी–ग्राम कंजर बस्ती, पोल्याड़ा,पुलिस थाना दुनी जिला टौंक राजस्थान ।

–प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक, फतेहपुर जिला सीकर राज०

–विपक्षी /अभियोगी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस
एफ.आई.आर. संख्या 174/2025 पुलिस थाना सदर फतेहपुर
अपराध अन्तर्गत धारा 8/15, 8/18, 8/29 एनडीपीएस एक्ट

उपस्थिति:–
(1) श्री कपिल दहिया,विद्वान अधिवक्ता–प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से ।
(2) श्री जय कौशिक,अपर लोक अभियोजक– राजस्थान राज्य की ओर से ।

–::**आदेश**::– **दिनांक :: 04.06.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त महेश कुमार कंजर की ओर से जरिये अधिवक्ता हस्तगत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा–483 बीएनएसएस में प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रतिलिपि अपर लोक अभियोजक को दिलायी गयी तथा बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2– बहस के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है जिसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उपर्युक्त प्रकरण में तथाकथित मात्रा में जो बरामदगी करना बताया गया है ऐसी कोई बरामदगी अभियुक्त से नहीं हुई है। प्रार्थी कभी भी तथाकथित बरामदगी स्थल पर नहीं रहा ना उसके कब्जे में मादक पदार्थ रहा है। प्रार्थी के खिलाफ आरोपित अपराध अथवा कोई भी अपराध बनना प्रथम दृष्ट्या ही नहीं पाया जाता है। प्रार्थी सदाचारी व्यक्ति है जिसका

कोई आपराधिक आचरण नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

3. उपर्युक्त तर्कों के खण्डन में अपर लोक अभियोजक द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त के द्वारा भारी मात्रा में अफीम व डोडा चूरा अन्य अभियुक्तगण को सप्लाई की गई है व अन्य अभियुक्तगण के कब्जे से बिना वैध प्राधिकार के 630 ग्राम अफीम व 06 किलो 610 ग्राम डोडा पोस्त चूरा जप्त किया गया है जो कि एक गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतः अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान नहीं करते हुए हस्तगत जमानत प्रार्थना को अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

4. सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि दिनांक 24.08.2025 को 12.50 ए.एम. पर श्री रामनिवास उपनिरीक्षक अन्य पुलिस सदस्यों के साथ संदिग्ध वाहनों की चैकिंग व नाकाबंदी हेतु थाने से रवाना होकर नेशनल हाईवे से कारंगा छोटा जाने वाली सड़क पर नाकाबंदी शुरू की गई तथा लगभग 1.30 ए.एम. पर कारंगा छोटा की तरफ से अल्टो कार जिस पर आरजे 19 सीडी 4095 नंबर की प्लेट लगी हुई थी को कारंगा छोटा की तरफ से आने पर रूकवाकर पूछने पर चालक द्वारा अपना नाम भरतराम तथा पास वाली सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम रमेश कुमार बताया गया एवं उस वाहन को चैक करने पर डिग्गी में प्लास्टिक का कट्टा सामान से भरा हुआ तथा ड्राइवर की सीट के पास बनी अस्थाई डिग्गी में प्लास्टिक की थैली में काले रंग का भरा सामान पाया गया एवं पूछने पर इन दोनों द्वारा कट्टों में डोडा पोस्त व अफीम होना जाहिर किया गया। इसके पश्चात् स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध नहीं होने विधि द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए पुलिस जाब्ते के हरलाल व राजेन्द्र सिंह को स्वतंत्र साक्षी बनाया जाकर उपर्युक्त कट्टों को चैक करने पर एक कट्टे में काले रंग का तरल पदार्थ जिसमें अफीम जैसी गंध आ रही थी पाया गया एवं दूसरे कट्टे में डोडा पोस्त चूरा पाया गया जिनका वजन करने पर अफीम कुल 630 ग्राम व डोडा पोस्त चूरा कुल 6.610 किलोग्राम होना पाया गया जिसे अपने पास रखने का अभियुक्तगण के पास कोई लाइसेंस नहीं था व एफआईआर अंतर्गत धारा 8/15, 8/18 व //25 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज कर अन्वेषण किया गया।

अनुसंधान से पाया गया कि मुख्य अभियुक्तगण के द्वारा अभियुक्त महेश कुमार को फोन नम्बर 9929810906 से सम्पर्क किया है और इस फोन की कैफ आईडी पत्रावली पर मौजूद है और इस कैफ आईडी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह मोबाइल नम्बर इस प्रार्थी/अभियुक्त का है व इन नम्बरों से अन्य अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थी से सम्पर्क किया गया है व इस अभियुक्त के द्वारा भारी मात्रा में अफीम, डोडा पोस्त उपलब्ध करवाया गया है जो अब तक के अनुसंधान से स्पष्ट है। अभियुक्त एक नवयुवक है यदि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाता है तो इसके द्वारा पुनः इसी तरह के अपराध किये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता तथा समाज में इसका गलत सन्देश जायेगा। आज की युवा पीढी में इस तरह के अपराध में लिप्त होने की प्रवृति देखी जा रही है जो समाज के लिए एक गंभीर समस्या है। अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 08/15, 08/18 व 8/29 एनडीपीएस एक्ट का अपराध प्रथम दृष्ट्या बनना पाया गया है। यद्यपि प्रार्थी को दिनांक 11.05.2026 को गिरफ्तार किया गया है जिसके पश्चात् प्रार्थी निरंतर अभिरक्षा में है तथा अभियुक्त का आपराधिक रिकार्ड शून्य है। ऐसी स्थिति में अभियोजित अपराध अंतर्गत धारा 08/15, 08/18 व 08/29 एनडीपीएस एक्ट में जब्त किये गये अवैध मादक पदार्थ की मात्रा व अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी नहीं करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता है।

5. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त महेश कुमार कंजर पुत्र हरिप्रकाश कंजर, उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम कंजर की ढाणी, पोलवाड़ा, पोलपारा, पीलभाड़ी टौंक राजस्थान की ओर से प्रस्तुत यह जमानत का आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा–483 बीएनएसएस 2023 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। अभियुक्त को आदेश की प्रति निःशुल्क दी जावे तथा आदेश की प्रति अभियुक्त को सूचनार्थ संबंधित कारागृह को भी जरिये ईमेल प्रेषित की जावे।

(सरिता यादव)
विशिष्ट न्यायाधीश(एनडीपीएस एक्ट)अपर
सेशन न्यायाधीश,
फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर(राज०)

6. आदेश आज दिनांक 04.06.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सरिता यादव)
विशिष्ट न्यायाधीश(एनडीपीएस एक्ट) अपर
जिला सेशन न्यायाधीश,
फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर(राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.06.05 09:42:12 IST